Vol III Issue I Feb 2013
Impact Factor : 0.2105
ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary
Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief
H.N.Jagtap

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume 3, Issue.1,Feb. 2013
ISSN:-2230-7850
Available online at www.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

"विश्व भारत एवं पर्यावरण विधिएक अध्ययन"

आशीष श्रीवास्तव. आशुतोष बैरागी

एम . वी . खालसा लॉ कॉलेज़ इन्दौर (म . प्र .)
श्री वैष्णव लॉ कॉलेज़ इन्दौर (म . प्र .)

I-सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण के तत्व पर्यावरण संरक्षण संवंधित प्रावधान संविधान एवं विभिन्न भारतीय विधियों तथा विश्व स्तर पर क्या हैं ? तथा पर्यावरण संरक्षण से संवंधित मान . उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का वर्णन किया गया है उपलब्ध विधियों का प्रभाव पूर्णतः न हो पाने के लिए सुझाव दिये गये हैं |

II-प्रस्तावना - (Introducation)

"पर्यावरण" शब्द से अभिप्राय है -परिइ्आवरण अर्थात् मानव के चारों ओर पाया जाने वाला वातावरण | इस पर्यावरण के अंतर्गत जल वायु अग्नि इत्यादि आते हैं | इन्हीं तत्वों में प्रदूषण होने के कारण मानव जाति को सर्वाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है | दूषित पर्यावरण के कारण अनेक लाइलाज संकामक रोगों की उत्पत्ति हो रही है | मानव की औसत आयु 100 वर्ष से घटकर 60 वर्ष रह गई है | ऐसा कहा जाता है कि मानव जितना प्रकृति से दूर रहेगा उतना ही इसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा | भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जाये तो वैदिक संस्कृति में मानव प्रकृति की पूजा व उसके संरक्षण में रहने में ही सुख का अनुभव करता था | अतः उस काल में उपर्युक्त समस्याओं का उद्भव नहीं हुआ था | लेकिन इस समय सभी समस्यायें मानव जाति को समाप्त करने में संलग्न हैं और इन समस्याओं को पर्यावरण विशेषज्ञों ने अपने शोध अध्ययनों में स्पष्ट भी किया है |

III-तर्क - (Rational)

एम . सी . मेहता
वनाम
भारत संघ
(AIR 1985 SC 652)

वंद करने का आदेश जारी किया जाये क्योंकि इन कारखानों से निकलने वाला मलवा गंगा नदी में वहाया जा रहा है जिसके कारण गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है | इस वाद में प्रत्यर्थियों ने अपने वचाव में अनेक तर्क दिये थे | मान उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्थियों के तर्कों को अस्वीकार करते हुये चर्मशोधन कारखानों को तत्काल वंद करने का आदेश पारित किया था | इसके साथ ही मान उच्चतम न्यायालय ने इस वात को भी स्पष्ट किया कि वेरोजगारी और राजस्व की हानि की अपेक्षा लोगों के प्राण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्व अधिक है |

पर्यावरण संबंधी विश्वस्तरीय प्रमुख कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय

संगठनों द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है |

हमारा उद्देश्य यहॉ समस्याओं को गिनाने का नहीं वरन्विश्व एवं भारत में इन समस्याओं से निपटाने के लिये क्या उपाय एवं सुझा उपलब्ध है पर ध्यान आकृष्ट कराना है तथा इस वात का मूल्यांकन करना है कि क्या ये उपाय एवं सुझाव पर्याप्त हैं ?

IV- उद्देश्य - (Objectives)

हमारे शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है अपने आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक वनाना क्योंकि मैं इस पर्यावरण का एक अभिन्न अंग हूँ - अर्थात्पर्यावरण के प्रति घटकों में मानव का एक निश्चित स्थान है जिस प्रकार आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भयावह रूप धारण करती जा रही है और यदि यह समस्या यूं ही वढ़ती रही तो संपूर्ण पर्यावरण ही नष्ट हो जायेगा तो नह म होंगे न आप | क्योंकि पर्यावरण का अर्थ है - परिइ्आवरणड्चारों ओर का वातावरण जिसमें सव कुछ शामिल है . जो दिखाई देता है वह भी और जो नहीं दिखाई देता वह भी |

इसके अंतर्गत पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण उसके कारण सामाजिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के निवारण को ठोस उपाय और उन्हें कारगर करने के तरीके उनके उपयुक्त होने के वावजूद ठीक तरह से प्रवर्तित होना भारत में विधिक एवं सांविधानिक प्रावधानों की उपयोगिता कहां तक कारगर रही है और कहां तक नहीं आदि का सूक्ष्म अध्ययन कर हर हालत में समाज को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प है | सर्वप्रथम हमने कहा कि हम जागरूक होना चाहते हैं क्योंकि हम यह

Title : "विश्व भारत एवं पर्यावरण विधिएक अध्ययन"
Source:Indian Streams Research Journal [2230-7850]आशीष श्रीवास्तव. आशुतोष बैरागी **yr:2013 vol:3 iss:1**

जानते हैं कि जब हम जागरूक होयेंगे तभी परिवार जागरूक होगा और जब परिवार जागरूक होगा तभी समाज जागरूक होगा और जब समाज पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा तो एक गांव जागरूक होगा और इसी कम में एक राष्ट्र और फिर संपूर्ण विश्व की बारी आती है |

अतः इस शोध के माध्यम से हम स्वयं तथा संपूर्ण मानव जाति को सचेत कर देना चाहते हैं कि पर्यावरण उस शक्ति की तरह है जिसका सदुपयोग कर हम चाहें तो शांति एवं समृद्धि के साथ जीवित रह सकते हैं और दुरूपयोग कर अपने विनाश को आमंत्रित कर सकते हैं |

V - परिकल्पना - (Hypothesis)

वर्तमान में पर्यावरण के प्रदूषण के प्रमुख कारण जल वायु भूमि तथा अम्लीय वर्षा द्वारा पर्यावरण अति जनसंख्या से पर्यावरण का असंतुलित होना जंगलो की समाप्ति और जंगली तथा पालतए पशुओं का विनाश विभिन्न गैसों की समाप्ति भूमि मृदा क्षरण से रेगिस्तान का उद्भाव तथा उसमें वृद्धि प्राकृतिक साधनों जैसे जल प्राकृतिक ईंधन आदि की समाप्ति भूमि के अंर्तजल की समाप्ति के कारण भूमि स्खलन विश्व तापमान में वृद्धि का ग्रीन हाउस पर विपरीत प्रभाव एवं ओजोन परत का क्षय तथा प्रकृति की धमकी है | भारत में पर्यावरण प्रदूषण के लिये विभिन्न उपचार उपलब्ध हैं जिनमें से कॉमन लॉ उपचार कानूनी उपचार और सांविधानिक विधि उपचार प्रमुख हैं |

VI - अनुसंधान विधि - (Research Methodology)

उक्त समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रदूषण के निवारण के ठोस उपायों के लिए हुई बाध्यकारी अनुशंसाओं भारत के माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन भारतीय संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा पारित कानून एवं ऑल इण्डिया रिर्पोटर (A.I.R.) क्रिमिनल लॉ जर्नल्स प्रतियोगिता किरण (Year Book) प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी मध्यप्रदेश एव भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों से सामग्री का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये हैं |

VII - अनुसंधान क्षेत्र एवं सैंपल एकत्रीकरण - (Universe Sample Collection)

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में अनुसंधान का क्षेत्र संपूर्ण भारत एवं विश्व हैं |

VIII - शोध तकनीक - (Research Tool and Techniques)

सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण समस्या का विश्लेषण कर परिकल्पना निर्मित की गयी उस परिकल्पना का अन्वेषन तकनीक के आधार पर समस्या से संबंधित मामलों पर माननीय न्यायालयों के प्रमुख निर्णयों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध कानून दंड प्रकिया सहिता भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं एवं संशोधित धाराओं कॉमन लॉ उपचार सिविल उपचार सांविधानिक उपचार वधिक प्रावधान समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों एवं डेटाओं माननीय न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण एवं पीडितों से चर्चा उपरांत निष्कर्ष निकाले गये हैं एवं उनको परिकल्पनाओं की कसौटी कहा गया है जिससे अनुसंधान परिष्कृत रूप में सामने आया है |

IX - अवलोकन या विश्लेषण - (Observation or Analysis)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भूमण्डलीय तापन (Global Warming) तथा उससे होने वाले भावी जलवायु परिवर्तनों भूमण्डलीय पर्यावरणीय एवं पर्रि स्थितिकीय समस्याओं तथा उनके प्रभावों के प्रति जागरूक हैं तथा भूमण्डलीय तापन के नियंत्रण तथा मानवजनित जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये कई प्रयास प्रारंभ कर दिये गये हैं | कई संगठन कार्यकम तथा परियोजनायें हैं ओजोन परत की अल्पता तथा हरितगृह प्रभाव (Green House Effects) में वृद्धि से निपटने के लिये विश्व स्तर पर प्रयास हो रहे हैं |

ओजोन परत नष्ट करने वाले CFCs (Slorofloro Corban) के उत्पादन पर रोक लगाने के लिये "मांट्रियल प्रोटोकॉल" लंदन में **5** से **7** मार्च **1989** में विश्व के **180** देशों के अधिकारियों वैज्ञानिकों उद्योगपतियों आदि की "ओजोन परत की अल्पता" पर आयोजित संगोठी कतिपय ऐसे उदाहरण हैं जो पर्या वरणीय समस्याओं के निदान के लिये अंतर्राष्ट्रीय सक्रिय सहयोग को इंगित करते हैं | परंतु दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि राजनैतिक दॉवपेंच विश्व समुदाय को सर्व नाश के कगार पर खड़ा करने के लिये आमादा है |

सन **1991** के जनवरीफरवरी माह में घटित इराक एवं बहुराष्ट्रीय सेनाओं के बीच घमसान खाड़ी युध्द ने खाड़ी देशों के पर्यावरण को जिस तरह से प्रदूषित किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की बर्बरता अभी समाप्त नहीं हुई है तथा उसे स्वस्थ पर्यावरण के स्थान पर आर्थिक एवं राजनयिक लाभ अधिक पसंद है | भूमण्डलीय पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण परिस्थिति कोरा संतुलन परिस्थिति तंग की स्थिरता एवं जैव विविधता (Biodiversity) को कायम रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न राष्ट्रों स्वयंसेवी संस्थाओं गैरसरकारी तथा सरकारी संगठनों द्वारा कई सम्मेलनों संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया गया है तथा कई महत्वपूर्ण संधियों एवं घोषणाओं पर हस्ताक्षर किये गये हैं |

प्रथम पृथ्वी सम्मेलन (रियो सम्मेलन) :

पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण की सुरक्षा एवं परिस्थितिकिय संतुलन को बनाये रखने के लिये जैव विविधता को समृध्द करने के लिये जैव विविधता को समृध्द करने के लिये ब्राजील के रियो डिजेनेरी नगर में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेमन (United Nations Conference on Enviormental and Deve-lopment-UNCED) सन्**1992** में **3** से **14** जून तक आयोजित किया गया | इस सम्मेलन के प्रमुख पॉच मुद्दे निम्नानुसार निर्धारित किये गये थे -

1)भूमण्डलीय तापमान में वृध्दि (Global Warming),
2)वन संरक्षण

DSpace™

3)जैव विविधता (Biodiversity)
4)एजेण्डा (कार्यक्रम) **21** तथा
5)रियो सम्मेलन घोषणा पत्र .

इसके वाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन **1992** में क्योटा प्रोटोकाल का वर्णन किया गया है |

भारतीय न्यायालयों द्वारा गये निर्णय -

1 . एम . सी . मेहता बनाम भारत संघ (AIR 1985 SC 652)

वंद करने का आदेश जारी किया जाये क्योंकि इन कारखानों से निकलने वाला मलवा गंगा नदी में वहाया जा रहा है जिसके कारण गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है | इस वाद में प्रत्यर्थियों ने अपने वचाव में अनेक तर्क दिये थे | मान उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्थियों के तर्कों को अस्वीकार करते हुये चर्मशोधन कारखानों को तत्काल वंद करने का ओदश पारित किया था | इसके साथ ही मान उच्चतम न्यायालय ने इस वात को भी स्पष्ट किया कि वेरोजगारी और राजस्व की हानि की अपेक्षा लोगों के प्राण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्व अधिक है | पर्यावरण संवंधी विश्वस्तरीय प्रमुख कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है |

2 . पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (1997) 3 SCC 433

इस मामले में मान उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के प्रावधान जो हमारे संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारोंको विशदीकरण करते हैं और प्रभावी करते हैं उन पर न्यायालयों द्वारा उन मूल अधिकारों के पहलू के रूप में अवश्य निर्भर किया जा सकता है और वे इस प्रकार प्रवर्तनीय है |

3 . वैल्लोर सिटिजैंस वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996) 5 SCC 647, 659-660

इस मामले में मान उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह विधि की लगभग स्वीकृत प्रतिपादना है कि रूढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम जो विधि के विरूध्द नहीं हैं उनको घरेलू विधिमें सम्मिलित समझा जायेगा और न्यायालयों द्वारा उनका अनुसरण किया जायेगा |

4 . यूनीकृष्णन्बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) 1 SCC 645, 730.

"राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा |" किसी अधिकार को मूल अधिकार मानने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसका अभिव्यक्त रूप से संविधान के भाग **3** में वर्णन किया गया हो जो कि मूल अधिकार से सरोकार रखता है | संविधान के भाग **3** और भाग **4** में के उपवंध जो कमशः मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व से संवंध रखते हैं एक दूसरे के पूरक और अनुपूरक हैं | मूल अधिकार भाग **4** में निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं और इसलिये उनको अर्थान्वयन निदेशक तत्वोंके दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है | उक्त समस्त मामलों में माननीय न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण एवं उपचार के संदर्भ में निर्णय दिये हैं |

पर्यावरण के लिये सांविधानिक व्यवस्था ः

भारत का संविधान संभवतः विश्व के अनोखे संविधानों में से एक है जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विशेष उपवंध किये गये हैं | प्रारंभ में मूलतः संविधान में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिये कोई विशेष उपवंध नहीं थे परंतु **42** वें संविधान संशोधन अधिनियम **1976** में संविधान के भाग **4** में राज्य के नीति निदेशक तत्वों ह्यअनु . **48** कह में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रावधानों के साथ अभिव्यक्त रूप से "मूल कर्तव्यों" में भी पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विशेष उपवंध किये गये जो अनुच्छेद **51** ह्यछह में उल्लेखित हैं | संविधान का **42** वां संशोधन अधिनियम स्टाकहोम घोभाणा की प्रतिक्रिया में जिसके मानवीय पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा **1972** में स्वीकार किया गया था अंगीकृत किया गया था |

पर्यावरण संबंधी विधायी शक्तियां ः

साधारण तथा पर्यावरण संवंधी समस्याओं का समाधान कानूनों (Statues) द्वारा किया जाता है | अतएव पर्यावरण की दृष्टी से विधायी शक्तियां के आवंटन की जानकारी महत्वपूर्ण है | भारत ने परिसंघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें विधायी शक्तियों को संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है | सांविधानिक योजना के अधीन विधायी शक्तियांको विभाजित करने हेतु संविधानमें तीन सूचियां निर्मित की गई हैं :- संघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची .

संविधान के अधीन अंतर्राष्ट्रीय समझैते के प्रति भारत की वाध्यता हेतु प्रावधान अनुच्छेद **51** में किया गया है | संविधान के अनुच्छेद **253** में विशेष रूप से संसद को शक्ति प्रदत्त की गई है कि "संविधान के अन्य उपवंधों में किसी वात के होते हुये भी संसद को किसी अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिये भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कापई विधि वनाने की शक्ति है | वस्तुस्थिति यह है कि भारत में पर्यावरणीय विधिशास्त्र का विकास रिट अधिकारिता द्वारा हुआ है |

न्यायिक सकियतावाद और लोकहितवाद या सामाजिक कार्यवाहीवाद की युक्ति का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में प्रतिपादन से प्रकियात्मक अधिकारिता में वड़ा भारी परिवर्तन हुआ है और इसने मानव अधिकार की भावना से युक्त पर्यावरणीय विधिशास्त्र के विकास में वड़ी प्रेरणादायक भूमिका अदा की है |

X - परिणाम खोज - (Findinfs)

जैसा कि सर्वविदित है कि आज मानव जाति **21** वीं शदी में प्रवेश कर चुकी है लेकिन साथ ही इन विभिन्न क्षेत्रों जैसेल सामाजिक भौतिक जैविक राजनैतिक आदि में अनेक पर्यावरण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है | आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीव वैज्ञानिक रसायनज्ञ अर्थशास्त्री समाजशास्त्री मानवशास्त्री मनोवैज्ञानिक भूगोलवेत्ता चिकित्सक अधिवक्ता तथा अभियंता सभी इस विषय पर चिंतित हैं और इन समस्याओं का हल ढूंढने में प्रयाससरतहैं |

X - सुझाव - (Suggestions)

आधुनिक पर्यावरण समस्या के निदान के प्रावधान ः

आधुनिक पर्यावरण समस्या का वैदिक समाधान एवं पर्यावरण प्रदूषण के विरूद्ध उपाय का वर्णन किया गया है जिसको यहां संक्षेप में दिया जा रहा है | इन समस्याओं के निराकरण हेतु मानव को पुनः वेदों की ओर लौटना होगा जिनमें कि प्रकृति व मानव के संतुलन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है तथा उनमें प्रतिपादित नियमों व प्रावधानों का कठोरता से पालन करना होगा तभी मानव जीवन पुः सुखमय बन सकेगा तथा इस वैदिक प्रार्थना रूपी आर्शीवचन को ग्रहण कर सकेगा कि -

"तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्वाच्छुक्रमुच्चरत् पश्चेम शरदः शतम्जीवेम शरदः शतम् |
श्रुणयाम शरदः शतम्प्रब्रवाम शरदः शर्त भूपश्चः शरदः शतात् ||

वैदिक उपायों को हम इस कम से विवेचित कर सकते है प्रकृति आकाश वायु जल यज्ञ जिसका वर्णन वेदों में किया गया है | इसके वाद पर्यावरण प्रदूषण के विरूद्ध उपाय मानव जाति हमेशा से करती आई है | इसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के उपायों का प्रादुर्भाव होता जा रहा है और उनका उपयोग भी किया जाता रहा है ऽ इन्हीं उपायों का संक्षिप्त वर्णन यहां किया जा रहा है :-

1)आध्यात्मिक उपाय **2)**विधायी उपाय

भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास एक शतक से अधिक पुराना है जिसके माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के उपायों को विस्तार से रेखांकित किया गया है | जिसमें से भारतीय दण्ड संहिता **1860** एवं दण्ड प्रकिया संहिता . **1973** के अतिरिक्त अन्य अधिनियमों में भी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित उपबंध पाये जाते हैं |
ये अधिनियम हैं :- समुद्र तट उपताप (मुम्बई तथा कोलावा) अधिनियम **1953** भारतीय सुखाधिकार अधिनियम **1882** एवं उत्तरी भारत नहर और जल विकास माल अधिनियम **1873** .

स्वतंत्र भारत में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिये निम्न विषयों पर अधिनियम पारित किये गये :- जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम वायु प्रदूषण संबंधी अधिनियम विकिरण (Radiation) से संबंधित अधिनियम कीटनाशी संबंधित अधिनियम साधारण पर्यावरण से संबंधित अधिनियम खाद्य अपमिश्रण संबंधी अधिनियम .

इनके अलावा कई अन्य नागरिक एवं सामाजिक समितियों द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये महत्वपूर्ण अनुशंसायें की गई हैं :- न्यायिक सकियतावाद सांविधानिक उपाय योजनागत उपाय दण्ड व्यवस्था के तहर्तभारतीय दण्ड संहिता **1860** सामाजिक प्रतिकिया विश्व द्वारा उपाय जिनका विवरण ऊपर विस्ताार से किया गया है |

वर्तमान में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये अधिनियम प्रभावी रूप से प्रचलित है ः वन अधिनियम **1927** वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम **1972** जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम **1974** वन संरक्षण अधिनियम **1980** वायु प्रदुषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम **1981** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम **1986** सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम **1991** राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकिरण अधिनियम **1997** खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम **1994** एवं राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकारी अधिनियम **1997** .

XII - उपसंहार - (Conclusion)

विश्व स्तर पर अति महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी प्रमुख कार्यकम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पृथ्वी सम्मेलन भारतीय संविधान एवं विभिन्न भारतीय विधियों में पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न प्रवाधन उपलब्ध होने के वावजूद हमारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए सुझावों पर अमल अत्यंत आवश्यक है | यह विषय न सिर्फ शाधि का वल्कि अति गंभीर है क्योंकि इस पर ही मानव जाति का भविष्य निर्भर है |

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 . पर्यावरण भूगोल	-	सविन्द्र सिंह
2 . पर्यावरण (पवंधन एवं विकास)	-	राजकुमार गुर्जर .
3 . पर्यावरण	-	डॉ . महिमा त्रिपाठी
4 . फारेस्ट इन इण्डिया	-	वी . पी . अग्रवाल
5 . सैनिटरी इनवायरमेंट	-	सुमीर के . भटनागर
6 . पर्यावरण दर्शन **(1994)**	-	प्रो . ओम प्रसाद
7 . पर्यावरण विधि	-	डॉ . जयजय राम उपाध्याय
8 . भारत का सावधान	-	जय नारायण पाण्डेय
9 . भारतीय दण्ड संहिता **1860**	-	अमरसिंह यादव

डॉ . मुरलीधर चयुर्वेदी
ओ . पी . श्रीवास्तव

DSpace™

10 . सिविल प्रकिया संहिता **1908** - कानून प्रकाशक (अधि .),
11 . दण्ड प्रकिया संहिता **1973** - रतनलाल धीरजलाल
12 . अपकृत्य विधि - डॉ . एस . के . कपूर .

अन्य अधिनियम ः

1 . वन अधिनियम **1927** .
2 . वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम **1972** .
3 . जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम **1974** .
4 . वन संरक्षण अधिनियम **1980** .
5 . वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम **1981** .
6 . पर्यावरण ह्यसंरक्षणह अधिनियम **1986** .
7 . सार्वजनिक दायित्व वीमा अधिनियम **1991** .
8 . राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकिरण अधिनियम **1997** .
9 . खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम **1994** एवं
10 . राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकारी अधिनियम **1997** .

अन्य सामग्री ः

1 . ऑल इण्डिया रिर्पोटर (A.I.R.)
2 . किमिनल लॉ जर्नल्स
3 . प्रतियोगिता किरण (Year Book) **2005** ते **2011** .
4 . प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी - **2005** .

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net